तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 08/2019	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
06.1.2021	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी राहुल अग्रवाल पुत्र गंगाविशन अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– 26, राम बाग, पाली, तहसील व जिला–पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर, मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26, राम बाग, पाली एवं प्रतिवादी गायत्री अगवाल पत्नि गंगाविशन अग्रवाल, निवासी– 26, राम बाग, पाली, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26, राम बाग पाली के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.1.2019 को समय 11.30 ए.एम. पर फर्म मै. मेघा फूड प्रोडक्ट्स 26, राम बाग, पाली, हाल मालियों का नोहरा, भाटकडा, सिरोही में मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26, राम बाग, पाली के मैनेजर राहुल अग्रवाल, जो दिनांक 26 जनवरी, 2019 गणतंत्र दिवस पर स्कूली बच्चों को वितरण हेतु मिष्ठान प्रोपराईटरी फूड (लड्डू)(वनस्पति में निर्मित) तैयार करवा रहा था, से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किया गया खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड (लड्डू)(वनस्पति में निर्मित) का नमूना संख्या S-886 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./55/Act/2019/105 दिनांक 06.2.2019 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की आज दिनांक 06.1.2021 को बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रोपराईटरी फूड (लड्डू)(वनस्पति में निर्मित) का नमूना किस प्रकार से हिलामिलाकर लिया, यह नही बताया है। प्रोपराईटरी फूड (लड्डू)(वनस्पति में निर्मित) का नमूना विधि अनुसार नही लिया गया है व उक्त खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु रखे जाने का कथन भी गलत है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ के नमूनीकरण कार्यवाही विधिवत नही की गई है व धारा 46 की उपधारा 4 के तहत जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादीगण को नही भिजवाई है जिसके कारण प्रतिवादीगण उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने की रेफरल लेब से जांच करवाने के अधिकार से वंचित रहे है, इसलिये प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.02.23 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 08/2019	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 25.1.2019 को फर्म मैसर्स मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26 रामबाग, पाली, हाल– मालियों का नोहरा, भाटकडा, सिरोही पर गये। फर्म मेघा फूड प्रोड्क्ट्स, 26 राम बाग, पाली को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में स्कूली बच्चों को वितरित किये जाने वाले मिष्ठान बनाने का टेन्डर दिया गया था। वहां पर फर्म मेघा फूड प्रोड्क्ट्स के प्रतिनिधि व मैनेजर की हैसियत से राहुल अग्रवाल पुत्र गंगाविशन अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– 26, राम बाग, पाली उपस्थित मिले, जो दिनांक 26.1.2019 गणतंत्र दिवस पर स्कूली बच्चों को वितरण हेतु मिष्ठान प्रोपराईटरी फूड प्रोपराईटरी फूड (लड्डू)(वनस्पति में निर्मित) तैयार करवा रहा था। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान स्कूली बच्चों को वितरित किये जाने वाले खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड (लड्डू)(वनस्पति में निर्मित) के अमानक शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना राहुल अग्रवाल को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री नकुल सिंह, जूनियर असिस्टेन्ट, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र प्रपत्र 5ए में भरकर दी व प्रपत्र 5ए में रसीद प्राप्त की, पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र 5ए पर राहुल अग्रवाल, उक्त गवाहान व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये। वहां पर एल्यूमिनियमत की 6 ट्रे में लगभग 2400 प्रोपराईटरी फूड (लड्डू)(वनस्पति में निर्मित) स्कूल बच्चों को वितरण किये जाने हेतु तैयार किये गये थे। एक टे में लगभग 400 प्रोपराईटरी फूड (लड्डू)(वनस्पति में निर्मित) रखे हुए थे। एक एल्युमिनियम ट्रे में रखे हुए लगभग 400 प्रोपराईटरी फूड (लड्डू)(वनस्पति में निर्मित) को हिला मिलाकर एक रुप किया व इस एक रुप किये प्रोपराईटरी फूड (लड्डू)(वनस्पति में निर्मित) में से 2 किलोग्राम प्रोपराईटरी फूड (लड्डू)(वनस्पति में निर्मित) को एक साफ, सूखे, खाली, भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 287/– (अक्षरे रुपये दो सौ सत्तासी) अदा कर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक जार दिखाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक S–886, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा प्रोपराईटरी फूड (लड्डू)(वनस्पति में निर्मित) को चारों साफ सूखें, खाली, जारों में बराबर–बराबर भरा व प्रत्येक जार में 40–40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर चारों जारों को ढ़क्कन से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना भागों को [illegible] प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी (मु[illegible] एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की [illegible] S-886 को नियमानुसार गोंद से चि[illegible] प्रत्येक नमूना [illegible] को धागे से बांध . [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.02.23 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 08/2019	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की मिल में जारी हुए

कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर राहुल अग्रवाल व गवाहानं के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका रिपोर्ट तैयार की जिसे राहुल अग्रवाल ने पढ सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर राहुल अग्रवाल व उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड (लड्डू)(वनस्पति में निर्मित) का एक नमूना भाग व फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा दिनांक 28.1.2019 को श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जांच हेतु भिजवाया एवं नमूने के शेष सीलबन्द तीन नमूना भाग व फार्म नं. 6 का सीलबन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 25.1.2019 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./55/Act/2019/105 दिनांक 06.2.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड (लड्डू)(वनस्पति में निर्मित) का नमूना संख्या S-886 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र संख्या:एफएसएसए/2019/1792–94 दिनांक 20.2.2019 के द्वारा राहुल अग्रवाल पुत्र श्री गंगाविशन अग्रवाल, फर्म मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26, राम बाग, पाली, तहसील व जिला– सिरोही को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाकर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर अपील आवेदन प्रारुप–8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन पुनः जांच हेतु प्रतिवादी ने आवेदन नही किया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिबादी द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड (लड्डू)(वनस्पति में निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी फर्म फर्म मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26, राम बाग, पाली, जिला– पाली पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित [illegible] फूड प्रोडक्ट्स, 26, राम बाग, पाली, जिला– पाली के [illegible] व खाद्य कारोबारकर्ता राहुल अग्रवाल पुत्र [illegible] अग्रवाल, निवासी– 26, राम बाग, पाली, [illegible] एवं श्रीम[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.02.23 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 08/2019	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	गायत्री अग्रवाल पत्नि श्री गंगाविशन अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– 26, राम बाग, पाली, जिला– पाली को आदेशित किया जाता है कि फर्म मेघा फूड प्रोडक्ट्स, 26 राम बाग, पाली पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 08.2.2021 को पेश हो। 8/1/2021 (गितेश श्री मालवीया) न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.02.23 16:27:23 IST
Reason: SelfAttested